

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
 Issuing Branch - AHERBAD (DIST. HISSAR)
 कोड के CODE No. 01156
 Tel.No. 01667-220322

बैंकर्स चेक
BANKERS CHEQUE

Key: QIGDAT
 Sr. No: 97958

1 1 1 0 2 0 2 3

D D M M Y Y Y Y

PAY **GAMPA FUND HARYANA**

को या उनके आदेश पर

रुपये **RUPEES** Two Crore Five Lakh Seventeen Thousand Five Hundred and Thirty Three Only

OR ORDER

अदा करें ₹ 20517533.00

IOI 000558153575 Key: QIGDAT Sr. No: 97958
 Name of Applicant PO NO 0600142957

AMOUNT BELOW 20517534(0/8)

कुते भारतीय स्टेट बैंक
 For STATE BANK OF INDIA

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE


Amer
 20/01/17
 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 AUTHORIZED SIGNATORY
 शाखा प्रबन्धक
 BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
 VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED
 केवल 3 महीने के लिए वैध
 VALID FOR 3 MONTHS ONLY


₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखित दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
 INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈ 153575⑈ 000002000⑈ 000558⑈ 16

Received
 17/10/17



AGENCY COPY


यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India


Challan for collection of CAMPA fund

Date : 17-10-2023

Client Code.	CAM5069
Location.	HARAYANA
Remitter Name.	HARYANA PWD B&R BR., CHANDIGARH
PIF/Application No.	61150425057
MoEF/SG File No.	9-HRC134-2022-CHA
Address.	EE Provincial Division PWD B&R Br Fatehabad Fatehabad
Remitter Contact No. Email-Id.	forestclearancefatehabad123@gmail.com
Mobile No.	7015511801
Landline No.	0-
Amount(In Rs)	20517533/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Two Crore Five Lakh Seventeen Thousand Five Hundred and Thirty-Three Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name In Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number In Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy


यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India


Challan for collection of CAMPA fund

Date : 17-10-2023

Client Code.	CAM5069
Location.	HARAYANA
Remitter Name.	HARYANA PWD B&R BR., CHANDIGARH
PIF/Application No.	61150425057
MoEF/SG File No.	9-HRC134-2022-CHA
Address.	EE Provincial Division PWD B&R Br Fatehabad Fatehabad
Remitter Contact No. Email-Id.	forestclearancefatehabad123@gmail.com
Mobile No.	7015511801
Landline No.	0-
Amount(In Rs)	20517533/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words : Two Crore Five Lakh Seventeen Thousand Five Hundred and Thirty-Three Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name In Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

BANK COPY


यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India


Challan for collection of CAMPA fund

Date : 17-10-2023

Client Code.	CAM5069
Location.	HARAYANA
Remitter Name.	HARYANA PWD B&R BR., CHANDIGARH
PIF/Application No.	61150425057
MoEF/SG File No.	9-HRC134-2022-CHA
Address.	EE Provincial Division PWD B&R Br Fatehabad Fatehabad
Remitter Contact No. Email-Id.	forestclearancefatehabad123@gmail.com
Mobile No.	7015511801
Landline No.	0-
Amount(In Rs)	20517533/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words : Two Crore Five Lakh Seventeen Thousand Five Hundred and Thirty-Three Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number

Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name In Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back



PUBLIC WORKS DEPARTMENT, HARYANA
(Building and Roads Branch)



O/o Executive Engineer,
Provincial Division, PWD (B&R) Br.,
Fatehabad (Haryana)-125050
Tel. Fax. - 01667-220120
Email: pwd-eeepd-fatehabad@hry.nic.in

To

The District Forest officer,
Fatehabad

Memo No. 8223

Dated 18/10/23

Subject: - Diversion of 11.5282 ha. (instead of 4.9462 ha.) forest land in favor Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Fatehabad for widening and strengthening of road from Surewala chowk to Uklana Bhuna Fatehabad road Km 19.70 to 47.375(SH-2) (Road ID 5367 & 5545) under forest division and district Fatehabad, Haryana (Online proposal no. FP/HR/Road/ 150425/2021).

Ref :- Your office letter memo no. 1331 dated 28.09.2023.

In this connection it is intimated that Rs. 2,05,17,533/- has been deposited in shape of Banker cheque bearing no. 000558 16 dated 11.10.2023 for the diversion of Forest land for the above said road.

So it is requested to initiate next course of action.

DA/Copy of banker cheque as above

Gajendra Kumar
Executive Engineer,
Provincial Division PWD B&R,
Fatehabad.

Dated _____.

Endst. No. _____.

A copy of above is forwarded to Sub Divisional Engineer, Provincial Sub Division NO.2, PWD B&R Br., Fatehabad for information and necessary action.

DA/Nil

Sul
Executive Engineer,
Provincial Division PWD B&R,
Fatehabad.

FCA
19/10/23


COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECONGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT : Diversion of 11.5282 Ha. of Forest Land for Widening & Strengthening of road from Surewala Chowk to Uklana-Bhuna-Fatehabad Road KM, 19.70 to 47.375 (SH-2) (Road ID 5367 & 5545) in District and under Forest Division Fatehabad for Fatehabad District/Forest Division falls within jurisdiction of Surewala Chowk to Uklana-Bhuna-Fatehabad Road KM, 19.70 to 47.375 (SH-2) (Road ID 5367 & 5545) village(s) Bhuna and Fatehabad in Fatehabad District(s).

It is certified that the Forest Land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.


Divisional Forest Officer
Fatehabad Forest Division
Fatehabad


District Collector
Fatehabad
Signature
District Collector,
Fatehabad. (with Seal)



**वन विभाग, कार्यालय****वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद**

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी0डब्ल्यू0डी0 रैस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का0/फैक्स)

Undertaking**Diversion of 11.5282 Ha. of Forest Land for Widening & Strengthening of road from Surewala Chowk to Uklana-Bhuna-Fatehabad Road KM, 19.70 to 47.375 (SH-2) (Road ID 5367 & 5545) in District and under Forest Division Fatehabad****Proposal No. : FP/HR/Road/150425/2021**

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयाकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-


- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- iii. सी.ए. योजना के अनुसार Dehman Sub Minor RD 0 to 18 L/R Side, Mirpur Minor RD 0 to 20, L/R Side & Fatehabad Branch RD 51 to 113, L/R Side जिला-फतेहाबाद पर सी.ए. का कार्य किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
- iv. ए.सी.ए. योजना के अनुसार Dehman Sub Minor RD 0 to 18 L/R Side, Mirpur Minor RD 0 to 20, L/R Side & Fatehabad Branch RD 51 to 113, L/R Side जिला-फतेहाबाद पर ए.सी.ए. का कार्य किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
- v. यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदला जाएगा।
- vi. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।
- vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVP की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVP की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- ix. एवेन्चू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- x. यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तानांतरित नहीं किया जाएगा।



वन विभाग, कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी०डब्ल्यू०डी० रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का०/फैक्स)

- xi. यह सुनिश्चित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा।
- xii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।
- xv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टॉफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दवाब से बचाया जा सकेगा।
- xvi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xvii. स्थानंतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे कर्म संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमट के खंभों द्वारा चिह्नित की जायेगी।
- xviii. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साईनेज लगाये जायेंगे।
- xix. प्रयोक्ता एजेंसी सी०डब्ल्यू०एल०डब्ल्यू० / एन०वीडब्ल्यू०एल० / एफ०ए०सी० / आर०ई०सी० की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ ओवर पास उपलब्ध करवायेगी।
- xx. यदि आवश्यक होगा तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xxi. कुड़ा कर्कट निपटान योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xxii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि , जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xxiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा तथा विकास हेतु समय- समय पर लगाई जा सकती है।
- xxiv. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।
- xxv. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


 वन मण्डल अधिकारी, (क्षे०),
 फतेहाबाद।



**HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDING & ROAD BRANCH)**

*O/o Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Fatehabad
(Haryana)125050 Tel. 01667-220120 Email:-pwd-eeepd-fatehabad@hry.nic.in*

Undertaking

F.No :- 9-HRB134/2022-CHA dated October, 2023

Subject :- Diversion of 11.5282 ha. (instead of 4.9462 ha.) forest land in favor Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Fatehabad for widening and strengthening of road from Surewala chowk to Uklana Bhuna Fatehabad road Km 19.70 to 47.375(SH-2) (Road ID 5367 & 5545) under forest division and district Fatehabad, Haryana (Online proposal no. FP/HR/Road/ 150425/2021)

Ref :- i. State Government Proposal no. FCA-805898/1499 dated 11.09.2023.
ii. 61st MoM of the regional Empowered committee (REC) held on 27th, September, 2023 at RO Chandigarh.

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले वृक्ष / पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा
- iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPY की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा करवाना सुनिश्चित करेगी।
- v. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- vi. स्थानांतरण के लिए प्रस्ताविक वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा
- vii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

- viii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।
- ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरो पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- x. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी ताकि साथ लगे वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xiii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमाये आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जायेगी।
- xiv. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जायेंगे।
- xv. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरइसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर / ओवरपाम उपलब्ध कराएगी।
- xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xviii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत **diversion** की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली **lease** की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह- समाप्ति होगी।
- xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।
- xx. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / नयायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxi. इनमें से किसी भी शर्त का उलंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उलंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के **Handbook of Forest (Conservation) Act. 2003 (Guidelines & Clarifications)**, 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा -2 के अधीन अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा | केन्द्रीय सरकार के अंतिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा।


Executive Engineer,
Provincial Division PWD B&R
Fatehabad

Kuldeep J.E



**HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDING & ROAD BRANCH)**




*O/o Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Br., Fatehabad
(Haryana)125050 Tel. 01667-220120 Email:-pwd-eeepd-fatehabad@hry.nic.in*

Undertaking

No -: 9-HRB134/2022-CHA dated October, 2023
Subject: -Diversion of 11.5282 ha. (instead of 4.9462 ha.) forest land in favour
Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Fatehabad for
widening and strengthening of road from Surewala chowk to Uklana
Bhuna Fatehabad road Km 19.70 to 47.375(SH-2) (Road ID 5367 &
5545) under forest division and district Fatehabad, Haryana (Online
proposal no. FP/HR/Road/ 150425/2021)

इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए कोई प्रस्ताव
लंबित नहीं है,।


Executive Engineer,
Provincial Division PWD B&R
Fatehabad
Kuldeep J.E